न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 33/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. पेमाराम पुत्र गोराराम		1. रामलाल पुत्र मंगलाराम
02. बुटाराम पुत्र सुगाल		2. श्यामलाल पुत्र मंगलाराम जातिगण– देवासी, निवासीयान– पचोलनाड़ी के पास, सोजत सिटी, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान।
03. सोहनलाल पुत्र अमिया उर्फ उम्मेद		
04. रामचन्द्र पुत्र बस्तीराम		
05. भंवरलाल पुत्र चेलाराम जातिगण– माली निवासीयान– सोजत सिटी, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान		

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री सोहनलाल गोराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री जीवराजसिंह लखावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 19/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत सिटी चक नम्बर 1 में स्थित खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.0500 हैक्टर, किस्म गै0स0सड़ा, खसरा नम्बर 3417 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बंजड़ व जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3468 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बंजड़ व जाव, खसरा नम्बर 3512 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, बंजड, जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3520 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बंजड, खसरा नम्बर 3521 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.0900 हैक्टर, किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 3523 रकबा 0.0200 हैक्टर, किस्म गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 3532 रकबा 0.0200 हैक्टर, गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 3533 रकबा 0.2300 हैक्टर, किस्म गै.मु.सड़ा की भूमि प्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदरान की कब्जा काश्तसुदा व खातेदारी की आई हुई है। खसरा नम्बर 3417 रकबा 0.0300 हैक्टर की भूमि बंजड़ व जाव अव्वल है तथा खसरा नम्बर 3533 गै.मु. सड़ा की भूमि है तथा मकान बने हुए है तथा उक्त भूमि के मुख्य द्वारा पर फाटक लगी हुई है। उक्त भूमि के उतर दिशा में अप्रार्थीगण का प्लोट चार दीवारी का आया हुआ है तथा उक्त प्लोट में आने जाने का रास्ता पूर्व दिशा की ओर है, जिस पर फाटक लगी हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 3417 व 3533 की भूमि को हड़पने की नियत से व जबरदस्ती कब्जा कर रास्ता निकालने पर तुला हुआ है। इसी नियत से अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.01.2021 को अपनी दीवार तोड़ कर अवैध रूप से रास्ता निकालने की कुचेष्ठा की, तब प्रार्थीगण तथा बेरे के अन्य काश्तकार/खातेदारान ने अप्रार्थीगण को जबरदस्ती रास्ता निकालने से मना किया, लेकिन अप्रार्थीगण जोर–जबरदस्ती व लडाई–झगड़ा कर रास्ता निकालने की नियत से दीवार को तोड़–फोड़ कर दी, तब प्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदारान ने पुलिस थाना सोजत सिटी में रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थीगण जोर–जबरदस्ती से उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में कब्जा करने की नियत से रास्ता निकाल देंगे तो प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को रूपए में नहीं आंकी जाने वाली अपूर्णिय क्षति होगी तथा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जाएगे। अप्रार्थीगण का पूर्व दिशा की ओर रास्ता बना हुआ है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना प्रार्थीगण को लाजमी हो गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)

अप्रार्थीगण द्वारा जोर–जबरदस्ती से उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में कब्जा करने की नियत से रास्ता निकाल देंगे तो प्रार्थीगण व अन्य खातेदारन को रूपए में नहीं आंकी जाने वाली अपूर्णिय क्षति होगी तथा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जाएगें। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 3417 व 3553 में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करने, ना ही किसी एजेंट से कराने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में बाधा अवरोद्ध व दखलअंदाजी पैदा नहीं करने तथा ना ही बेचान हस्तांतरण करें तथा ताफैसला तक अप्रार्थीगण को रेकर्ड व मौके की यथा–स्थिति बनाए रखे जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जीवराजसिंह लखावत ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.03.2021 से लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में विफल रहने से दिनांक 19.09.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

बहस अधिवक्ता वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 3417 व 3553 को बेचान रहन, अन्य हस्तातंरण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबंद किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र सारहीन आधारहीन होने से खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र ज0प्रा0 पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थी फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के सलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, तथ्यों, स्थितियों, परिस्थितियों का मूल वाद में प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात के आधार पर तनकीयात कायम होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर लेकर उभयपक्षों के हक अधिकारों का वाद–विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति (Status Que) बनाए रखने हेतु उभयपक्षों को बाद निर्णय तक पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 3417 व 3553 कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति (Status Que) बनाए रखने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19/09/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)